ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00084

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

## पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

### न्याय निर्णयन आवेदन सं0 08 / 17

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

परिवादी

बनाम

अभियुक्त (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्त्ता) : श्री हरजिन्द्र सिह पुत्र दिलावर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर फर्म : मै. हरजिन्द्र सिंह, दूध विक्रेता, चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय  दिनांक : 23.06.2017

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा दिनांक 28.10.2016 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2017 को सुबह 09:00 ए.एम. पर करणपुर रोड़ स्थित गांव 7 जैड में स्थित प्रेम डेयरी के पास पहुंचा वहां पर एक मोटर साईकिल पर एल्यूमिनियम केन लेकर आते हुए व्यक्ति को रोका एवं अपना परिचय दिया एवं उसका परिचय लिया। वह व्यक्ति श्री हरजिन्द्र सिंह पुत्र दिलावर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 सी छोटी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर है, वह आस पास के गावों से गाय, भैंस का दूध इकट्ठा करके आम जनता को दूध बेचता हुआ पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ Mixed Milk के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु मोटर साइकिल पर एल्यूमिनियम के कैन में मौजूद लगभग 34 लीटर Mixed Milk एक लीटर के नपने से अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रूप किया एवं इस एक रूप में किए हुए Mixed Milk में से 2 लीटर Mixed Milk एक साफ सूखी खाली भिगोने में खरीदा, Mixed Milk की कीमत 60 रूपये अदा की एवं खरीद रसीद तैयार की,

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं गवाहों का चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशियां दिखाई, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं स्वयं (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा Mixed Milk को चार नूमना बोतलों को बराबर–बराबर भरा, प्रत्येक जार में 40–40 बूंद फार्मलीन डाली। चारों नमूना जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना बोतलों को एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–760 को नियमानुसार ऊपर से नीचे गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता श्री हरजिन्द्र सिंह ने पढकर, सुनकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच. ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/250/एक्ट/2017/316 दिनांक 28.02.2017 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–760 Mixed Milk **अमानक स्तर** (Sub Standard) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में श्री हरजिन्द्र सिह फर्म : मै. हरजिन्द्र सिंह, दूध विक्रेता, चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर Mixed Milk का विक्रय किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.06.2017 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस दूध का नमूना जांच हेतु लिया गया था, वह उसने गांव चक 3 सी एवं आस–पास के गावों से दूध लेकर इक्कट्टा किया था। वह गाय का दूध था। उसके द्वारा उसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार दूध में फैट की मात्रा सही पाई गई है एवं एसएनएफ 0.67 प्रतिशत कम पाया गया है, जो अलग अलग गायों का दूध होने के कारण हो सकता है। अभियुक्त ने गलती को स्वीकार किया है। अभियुक्त ने निवेदन किया है कि लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया Mixed Milk सैम्पल के–760 जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/250/एक्ट/2017/316 दिनांक 28.02.2017 द्वारा **सब स्टैण्डर्ड** होना पाया गया है। दूध में अपमिश्रण नहीं है और न मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एम0एस0एन0एफ0 में थोड़ा अन्तर है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 3(1)(zf)(C)(i) स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराया जाकर निवेदन किया गया है कि चक 3 सी एवं आस–पास के गावों से दूध लेकर इक्कट्ठा किया था। वह गाय का दूध था। उसके द्वारा दूध में कुछ भी नहीं मिलाया गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार दूध में फैट की मात्रा सही पाई गई है एवं एम0एस0एन0एफ0 में 0.67 प्रतिशत कम पाया गया है, जो अलग अलग गायों का दूध होने के कारण हो सकता है। अतः लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना किया जाकर प्रकरण का निर्णय किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/250/एक्ट/2017/316 दिनांक 28.02.2017 के बिन्दु संख्या 02 Milk solids not fat is 7.83% (Mathod Name : Manual Mathod of analysis of food by D.G.H.S. New Delhi) जबकि Milk solids not fat की Minimum value 8.50% होनी चाहिए थी। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Mixed Milk Sample of Mixed Milk bearing Code No. and Sr. No. K-760 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Substandard Food under section 3(1)(zx) of FSS Act. 2006. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री हरजिन्द्र सिह पुत्र दिलावर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 सी छोटी फर्म : मै. हरजिन्द्र सिंह, दूध विक्रेता, चक 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री हरजिन्द्र सिह पुत्र दिलावर सिंह को under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety and Standard Act 2006 के अन्तर्गत राशि रूपये 2,000–00 (अखरे रूपये दो हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में बिकी हेतु जो दूध एकत्रित किया जाता है, उसकी फेट की जॉच करने के उपरांत ही उपभोक्ताओं को दूध का विकय किया जाए ताकि मानव जीवन पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़े और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/6/17

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(नख़तदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।